31-12-20 के अनुसार अचल संपत्ति का विवरण Statement of immovable property as on 31-12-20.....

- 01. अधिकारी का पूरा नाम एवं अधिकारी की सेवा : Name of the officer [in full] and Service to which the officer belongs
- 02. वर्तमान धारित पद : Present post held
- 03. वर्तमान वेतन : Present Pay
- 04. संपत्ति का विवरण : Description of property
- 05. स्थान [जिला, मंडल, तालुका एवं गॉव का नाम : जहां संपत्ति स्थित है और उस की विशिष्ट संख्या आदि]
 Precise location [Name of district,
 Division, taluka and village in which
 The property is situated ans also its
 Distinctive numbers etc.]
- 06. भूमि का क्षेत्र [अगर भूमि और बिल्डिंग हो] : Area of land [in case of land & buildings]
- 07. भूमि का स्वरूप [अगर भूमिसंपन्न संपत्ति हो] : Nature of land[in case of landed property]
- 08. हित का विस्तार : Extent of interest
- 09. यदि स्वयं के नाम पर न हो तो जिस के नाम पर है, उस का नाम एवं सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध बताए : If not in own name, state in whose Name held and his/her relationship, If any, to the Govt. servant
- 10. भूमि अर्जन का तारीख: Date of acquisition
- 11. कैसे प्राप्त की क्या क्रय, बंध, पट्टा, विरासत, भेट अथवा अन्य द्वारा प्राप्त की गई। जिस व्यक्ति/ व्यक्तियों से प्राप्त हुई उनके नाम सहित उनका विवरण [संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम एवं पता जिस का सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध है।]: How acquired [whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise] and name with details of person/persons from whom acquired [address and connection of Govt.servant, If any, with the person/persons concerned] [See Note 1 below]

- 12. संपत्ति का कीमत [नीचे का नोट 2 देखें] : Value of the property[see note-2 below]
- 13. विहित प्राधिकारी की संस्वीकृति [यदि कोई हो तो उसका विवरण] :
 Particulars of sanction of prescribed authority, if any.
- 14. संपत्ति से कुल वार्षिक आय : Total annual income from the property
- 15. टिप्पणी Remarks

| तारीख | 90 | | | |
|-------|----|------|--|---|
| ताराख | ٠. | | | _ |
| Dated | | | | |

हस्ताक्षर Signature

टिप्पणी: कलम 11 के प्रयोजन हेतु पट्टा शब्द का तात्पर्य वर्षानुवर्ष अचल संपत्ति के पट्टे अथवा एक वर्ष से अधिक की किसी भी अविध हेतु अथवा किसी वार्षिक भाड़े के नियमन है। तथापि जहां अचल संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के साथ संव्यवहार करनेवाले व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है तो ऐसे पट्टे को भी इस कलम में दर्शाया जाना चाहिए, चाहे पट्टा अल्पाविध अथवा दीर्घाविध के लिए हो एवं भाड़े मुगतान की आवर्तिता भी दर्शाई जानी चाहिए।

- 2. कलम 12 में निम्नलिखित दर्शाया जाना चाहिए:
- [क] जहां क्रय, गिरवी अथवा पट्टे द्वारा अर्जित की गई हो तो ऐसे अर्जन के लिए चुकाया गया मूल्य अथवा प्रिमियम
- [ख] जहां उसे पट्टे द्वारा अर्जित किया गया है वहां उसका कुल वार्षिक भाड़ा भी तथा
- [ग] जहां अर्जन विरासत, उपहार या आपसी विनिमय द्वारा हो तो इस प्रकार अर्जित संपत्ति का अनुमानित मूल्य देना होगा
- 3. कृपया संपत्ति का पूरा विवरण लिखें । पिछले वर्ष के अनुसार जैसे जुमलों का प्रयोग न किया जाए ।
- NOTE: 1. For purpose of Co.11 the term lease would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Govt. servant such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term and the periodicity of the payment of rent.
- 2. In column 12 should be shown:
- [a] Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition.
- [b] Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also and
- [c] Whether the acquisition is by inheritance gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.
- 3. Please write the full details of the description of property and do not record as per last year.